



सेवोत्तम प्रमाणित

## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय  
हॉल नं०-एस-1, सेक्टर-16ए, वसुन्धरा काम्पलैक्स,  
वसुन्धरा गाजियाबाद

भारतीय मानक ब्यूरो

IS 15700



पत्र सं०-

/सिद्धार्थ विहार गाजि० /

दिनांक-

स्व वित्त पोषित योजना ..... के फ्लैट का प्रवेश पत्र

सेवा में,

पंजीकृत डाक द्वारा

श्री .....

पुत्र श्री .....

पता.....

महोदय/महोदया,

आप ..... योजना गाजियाबाद में स्व वित्त पोषित योजना ..... के अन्तर्गत ..... में फ्लैट हेतु पंजीकरण चालान संख्या .....के विरुद्ध पंजीकृत है एवं अनुमानित लागत पर मांग पत्र निर्गत है। दिनांक ..... को सम्पन्न लाटरी ड्रा में आपको सेक्टर-..... में **फ्लैट संख्या** ..... का आवंटित है। स्वीकृत मूल्यांकन के अनुसार सम्पत्ति के कुल मूल्य, जमा धनराशि एवं सम्पत्ति के विरुद्ध देय धनराशियों का विवरण निम्नवत् है:-

| क | सम्पत्ति का कुल मूल्य                                                      |     |  | विविध शुल्क का विवरण           |     |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------|-----|--|
|   | 1. निर्माण लागत                                                            | रु० |  | 1 वाटर एवं सीवर कनेक्शन        | रु० |  |
|   | 2. सुपर प्लिंथ एरिया ..... वर्गमी० के सापेक्ष अनुपातिक सम्मिलित भूमि मूल्य | रु० |  | 2 जल मूल्य अग्रिम शुल्क 12 माह | रु० |  |
|   | 3 फ्री होल्ड भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत                                      | रु० |  | 3 विलेख निष्पादन शुल्क         | रु० |  |
|   | कुल मूल्य                                                                  | रु० |  | 4 विज्ञापन व्यय 0.25 प्रतिशत   | रु० |  |
|   | ख जमा धनराशि का विवरण                                                      |     |  | 5 पुर्नजीवन शुल्क              | रु० |  |
|   | 1 पंजीकरण हेतु जमा धनराशि                                                  | रु० |  | 6 बाउण्ड्रीवाल निर्माण व्यय    | रु० |  |
|   | 2 किश्तों के विरुद्ध जमा सेवाकर सहित                                       | रु० |  | 7 साईट प्लान शुल्क             | रु० |  |
|   | 3 कुल जमा                                                                  | रु० |  | घ दि० ..... तक देय राशि        | रु० |  |
|   | 4 मांग पत्र के अनुसार देय सेवाकर (-)                                       | रु० |  | जी०एस०टी० का विवरण             |     |  |
|   | 5 (किश्त+सेवाकर विलम्ब से) जमा करने पर अतिरिक्त ब्याज (-)                  | रु० |  | (1)                            | रु० |  |
|   | 6 किश्त+सेवाकर पर देय ब्याज समायोजन के उपरान्त शुद्ध जमा धनराशि (4+5)      | रु० |  | (2)                            | रु० |  |
| ग | सम्पत्ति के मूल्य के विरुद्ध दि० ..... तक देय धनराशि (क-ख)                 | रु० |  | ड (3) कुल देय जी०एस०टी०        | रु० |  |

| क्रम सं० | बैंक का नाम | RTGS/NEFT Code | खाता संख्या | बैंक ड्राफ्ट हेतु खाते का नाम | अन्तिम भुगतान तिथि |
|----------|-------------|----------------|-------------|-------------------------------|--------------------|
|          |             |                |             |                               |                    |
|          |             |                |             |                               |                    |
|          |             |                |             |                               |                    |

उपरोक्त वर्णित (ग,घ,ड) की धनराशि कमशः क्रम सं०-1, 2, व 3 पर अंकित बैंक खातों में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद गाजियाबाद "UPAEVP, Gzb" के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा देय तिथि तक अथवा बैंक कार्यदिवसों में जमा कराकर रसीद की अग्रिम प्रति कार्यालय में जमा करें। (RTGS / NEFT / Bank D.D.) द्वारा धनराशि जमा करने पर आपको अपने खाते की फोटो प्रति, यू०टी०आर० संख्या, आवेदन फार्म/चालान संख्या, सम्पत्ति श्रेणी का अंकन करते हुए एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय में सूचना उपलब्ध करानी होगी। किसी अन्य के खाते से धनराशि का हस्तान्तरण मान्य नहीं होगा। किसी भी दशा में निर्धारित देय तिथि के उपरान्त धनराशि का भुगतान करने पर 13.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से पूर्ण माह का दण्ड ब्याज देय होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त महोदय का निर्णय अन्तिम होगा।

भवदीय

सम्पत्ति प्रबन्धक  
कृते आवास आयुक्त